

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2022(2022/471)

1. दीपक आयु 26 वर्ष पुत्र श्री रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बोहरा कॉलानी केकड़ी जिला अजमेर
-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी (अजमेर)

उपस्थित:-

1. श्री नवल किशोर पारीक-वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकड़ी-अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काप्तकारी अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक-11.10. 2022

2022

खसरा संख्या 407/990 में से 105 गुणा 9 बराबर 945 वर्गमीटर, खसरा संख्या 407 में से 200 गुणा 9 बराबर 1800 वर्गमीटर भूमि इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाली कुल भूति 1845 वर्गमीटर भूमि होती है। ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 258212 प्रति है. पर 47640 बनते हैं डबल करने पर 95280 बनते हैं।

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काप्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:-


प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काप्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम एकलसिंहा तहसील केकड़ी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
103-206	1192/544	0.73	बारानी 3
	1193/407	0.28	बारानी 3
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.01	

प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूति जाने हेतु खसरा संख्या 407 तक पहुंचने हेतु मार्ग विद्यमान है जिसके बाद के खसरा संख्या 407 / 990 रकबा 0.3500, 407 रकबा 15.1300 हैक्टर में से नया मार्ग खोलने का आशय रखते हैं। प्रार्थी को उक्त मार्ग की आत्यातिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक मार्ग भी विद्यमान नहीं है। अतः रास्ते दिये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जयें तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब/मौके रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार है:-

प्रार्थी के खसरा नंबर 1192/544, 1193/407 के मौके पर आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नंबर 407/990, 407 जो कि सिवायचक खसरा नंबर में से आजा रहा है। जो खेत के निकटतम प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है मेवदाकलां से एकलसिंहा डामर रोड से लगवा है प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है रास्ता दिया जाना उचित है खसरा संख्या 407/990 में से



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

105x9=945 वर्गमीटर, खसरा संख्या 407 में से 100x9=900 वर्गमीटर भूमि इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाली कुल भूमि 1845 वर्गमीटर भूमि होती है। ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 258212 प्रति है। पर 47640 बनते हैं डबल करने पर 95280 बनते हैं। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर रास्ता दिया जाना उचित है

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1192/544, 1193/407 के मौके पर आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नंबर 407/990, 407 जो कि सिवायचक खसरा नंबर में से आजा रहा है। जो खेत के निकटतम प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है मेवदाकलां से एकलसिंहा डामर रोड से लगवा है प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है रास्ता दिया जाना उचित है खसरा संख्या 407/990 में से 105x9=945 वर्गमीटर, खसरा संख्या 407 में से 100x9=900 वर्गमीटर भूमि इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाली कुल भूमि 1845 वर्गमीटर भूमि होती है। ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 258212 प्रति है। पर 47640 बनते हैं डबल करने पर 95280 बनते हैं। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में अंकन है जो निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम एकलसिंहा के खसरा संख्या खसरा नंबर खसरा नंबर 1192/544, 1193/407 में आने जाने हेतु प्रार्थी खसरा नंबर 407/990, 407 जो कि सिवायचक खसरा नंबर में से आता जाता रहा है। जो खेत के निकटतम प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है मेवदाकलां से एकलसिंहा डामर रोड से लगवा है प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है रास्ता दिया जाना उचित है खसरा संख्या 407/990 में से 105x9=945 वर्गमीटर, खसरा संख्या 407 में से 100x9=900 वर्गमीटर भूमि इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाली कुल भूमि 1845 वर्गमीटर भूमि होती है। ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 258212 प्रति है। पर 47640 बनते हैं डबल करने पर 95280 बनते हैं। उक्त राशि अप्रार्थी जयें तहसीलदार केकडी को भुगतान करने के पश्चात् उक्त खसरा नंबर 407/990, 407 में मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी प्रार्थी द्वारा प्राप्त राशि 95280(पिचानवे हजार दो सो अस्सी) नियमानुसार राजकोश में जमा करवायी जाकर। आराजी ग्राम एकलसिंहा के खसरा नंबर 1192/544, 1193/407 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(विक्रमस पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जयपुर)